बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सं०सं०–02 / कर माफी–01 / 2015 परि०

आदेश

पटना, दिनांक–

जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक–505, दिनांक–21.02.2018 के साथ प्रेषित कर माफी अभिलेख संख्या–01 / 2017–18 ग्र०के०–एम०के०जी०, दिनांक–17.02.2018 द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मोकामाघाट के एक नये वाहन Troop Carrier के कर विमुक्ति विभागीय अधिसूचना संख्या–910, दिनांक–23.02.2004 के आलोक में किये जाने हेतु अभिलेख अनुशंसा सहित उपलब्ध कराया गया है। वाहनों से संबंधित विवरणी निम्नलिखित है :–

Sl. No	Type of New Vehicle	Engine Number	Chassis Number	Period of Road Tax	Total Amount (in Rs.)
1	Troop Carrier	SLT4MU236000	MBUWEL4XMU0242529	**Tax-**	1,27,500.00
				RSF-	1,275.00
TOTAL					**1,28,775.00**

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–15 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–910 दिनांक–23.02.2004 के आलोक में केन्द्रीय स्वामित्व वाले मोटर वाहनों को कर / अतिरिक्त कर से विमुक्ति प्रदान करने की शक्ति सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यायोजित है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक–505, दिनांक–21.02.2018 के साथ संलग्न कर प्रेषित कर माफी अभिलेख संख्या–01 / 2017–18 ग्र०के०–एम०के०जी०, दिनांक–17.02.2018 द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मोकामाघाट के उपर्युक्त वाहन के लिए की गई अनुशंसा एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–15 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–910 दिनांक–23.02.2004 के आलोक में संगणित कुल कर **₹ 1,28,775.00 (एक लाख अठाईस हजार सात सौ पचहत्तर रुपये)** में से **₹ 1,27,500.00 (एक लाख सताईस हजार पाँच सौ रुपये मात्र)** की विमुक्ति दी जाती है, क्योंकि बिहार मोटरवाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 11, 2016) में सड़क सुरक्षा उपकर / अर्थदण्ड से माफी का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सड़क सुरक्षा उपकर / अर्थदण्ड की राशि देय होगा। यह कर माफी इस शर्त्त के साथ प्रदान की जाती है कि गणना के पुनः सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

निबंधित ज्ञापांक :– 02 / कर माफी–01 / 2015 परि० 2118 पटना, दिनांक– 26.03.18

प्रतिलिपि :– जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय / पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मोकामाघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।